न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 13/2019/अपील/एलआरएक्ट/बांरा
तारीख दायरा: 22.1.2019
अन्तर्गत धारा: 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

छीतरलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति गुर्जर निवासी बमुलिया कंला तहसील अन्ता जिला बांरा राज (मृतक) जरिये कायम मुकामान

1/1. महावीर पुत्र श्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी बमुलियाकलां तहसील अन्ता
1/2. हिम्मतराज पुत्र श्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी बमुलियाकलां तहसील अन्ता
1/3. चम्पा बाई पुत्री श्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी बमुलियाकलां तहसील अन्ता
1/4. मनभर बाई पुत्री श्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी बमुलियाकलां तहसील अन्ता
1/5. कंचन बाई पुत्री श्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी बमुलियाकलां तहसील अन्ता

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान संरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बांरा (राज.)
2. रघुराज सिंह उर्फ रघुवीर सिंह पुत्र श्री छोटा सिंह जाति राजपूत निवासी बमुलियाकलां तहसील अन्ता जिला बांरा(राज.)

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज कुमार मंत्री अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 07.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपजिला कलक्टर अंता जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–43/2010 (अपील) अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट बउनवान छीतरलाल बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि बिरधीलाल आत्मज श्री माधो के खाते की आराजी खसरा नं. 625 की रकबा 18 बीधा 10 बिस्वा तथा खसरा नं. 624 की रकबा 2 बीधा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 20 बीधा 17 बिस्वा भूमि खाते दर्ज थी जिसका सेटलमेन्ट उपरान्त नया नम्बर 187 की रकबा 3.37 हेक्टर दर्ज की गई। पूर्व में खसरा नं. 624 व 625 के मध्य एक पगडण्डी थी। किन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात मौके पर उक्त भूमि 2.10 हेक्टर ही है सेटलमेन्ट द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट के खेत में जो नक्शा बनाया गया वह साबिक नक्शे के मुकाबले तीन गुना अधिक दर्ज कर सिवायचक दर्ज कर दी तथा अपीलार्थी के रास्ते के पूर्व की तरफ के खेत का नया खसरा नं. 200 डालकर रेस्पोडेन्ट नं. 2 के खाते 0.87 हेक्टर भूमि दर्ज कर दी गई। जबकि रेस्पो0 क्रम–2 के खसरा सं. 201 मे जो भूमि है उस भूमि से रेस्पो0 का खसरा पूरा हो रहा था। इस प्रकार अपीलान्ट के खाते खसरा नं. 200 के रकबा 0.87 हेक्टेयर भूमि तथा शेष रकबे की पूर्ति सिवायचक रास्ते के रकबे से पूरी की जा सकती थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजहित प्रभावित होने से रकबे की पूर्ति नही की जा सकती है वर्णित करते हुये दिनांक 9.5.2018 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय के मान्यता प्राप्त संचिका सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से

अति० स० आय
कोटा

निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देते समय आरबीट्रेरी रूप से निर्णय पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के तथ्यों का अवलोकन किये बिना व अपीलांट को सुने बिना ही केम्प में फाइल रखकर निर्णय कर दिया जबकि केम्प मे वही निर्णय पारित किया जा सकता है जिसमे दोनो पक्ष सहमत हो। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायायलय का आदेश दिनांक 09.05.2018 को निरस्त करते हुए भूमि खसरा सं. 200 रकबा 0.87 हैक्टर भूमि एवं शेष भूमि सिवायचक रकबे से पूरी की जाकर अपीलार्थी की आराजी का रकबा 3.37 हैक्टर पूरा किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री बुजराज कुमार मंत्री ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही केम्प कोर्ट में पक्षकारान् की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया जबकि तहसीलदार अन्ता द्वारा रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित कर प्रार्थी की भूमि रास्ते के रकबे से पूरी की जा सकती है वर्णित किया था। प्रार्थी की भूमि को कम किया जाकर रास्ते की भूमि का रकबा बढाया गया जिसे कम कर प्रार्थी का रकबा पूर्ण किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नही होता तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली में दिनांक 13.3.2018 को प्राथी/अपीलार्थी को संशोधित टाईटल प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी 09.05.2018 नियत की गई थी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सूचित किये बिना ही प्रकरण लोक अदालत केम्प बमुलियाकला मे रख जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो सिविल प्रकिया संहिता मे निहित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट हो जाते है। बहस मे आगे यह भी बताया कि लोक अदालत केम्प मे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। पक्षकारान की सहमति संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जाकर पक्षकार को तलब कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 रेस्पो0 क्रम–2 को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी नोटिस/सम्मन से आहूत किया गया किन्तु रेस्पो0 के रजि0 ए0डी0 नोटिस बाद तामील/अदम तामील वापस प्राप्त नही हुये तथा तामील जारी किये एक माह से अधिक का समय हो जाने से रेस्पो0 क्रम–2 की दिनांक 26.9.2019 को तामील पूर्ण मानी गई।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। जेरअपील आदेश दिनांक 09.05.2018 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका तथा पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी के भूमि खसरा सं. 625 की रकबा 18 बीधा 10 बिस्वा तथा खसरा नं. 624 की रकबा 2 बीधा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 20 बीधा 17 बिस्वा भूमि खाते दर्ज थी जिसका सेटलमेन्ट उपरान्त नया नम्बर 187 की रकबा 3.37 हेक्टर दर्ज किया गया हैं। पूर्व में खसरा नं. 624 व 625 के मध्य एक पगडण्डी थी। किन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात मौके पर उक्त भूमि 2.10 हेक्टर ही है सेटलमेन्ट द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट के खेत में जो नक्शा बनाया गया वह साबिक नक्शे के मुकाबले तीन गुना अधिक दर्ज कर भूमि सिवायचक दर्ज कर दी तथा अपीलार्थी के रास्ते के पूर्व की

तरफ के खेत का नया खसरा नं. 200 दर्ज कर रेस्पोडेन्ट नं. 2 के खाते 0.87 हेक्टर भूमि दर्ज कर दी गई जबकि रेस्पो. नं. 2 के भूमि खसरा सं. 201 से रेस्पो0 के खसरा पूर्ण हो रहा है। अपीलान्ट के खाते खसरा नं. 200 के रकबा 0.87 हेक्टेयर भूमि तथा शेष रकबे की पूर्ति सिवायचक रास्ते के रकबे से पूरी किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण में तहसीलदार अन्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर बिना पक्षकारान को सुने राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की अनुपस्थिति में राजहित प्रभावित होने से कम रकबे की पूर्ति नही की जा सकती मानते हुए प्रकरण अस्वीकार कर खारिज कर दिया''। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सूचित किये बिना ही प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प बमुलियाकला मे रख जेरअपील निर्णय पारित किया है जो सिविल प्रकिया संहिता मे निहित प्रावधानों के विपरीत है। लोक अदालत केम्प मे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जबकि पक्षकारान की सहमति संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद नही है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.3.2018 के अनुसार पत्रावली मे संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया जाना वर्णित करते हुये आगामी तारीख पेशी 9.5.18 वास्ते तलबी मुकर्रर की जाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है तत्पश्चात प्रकरण मे राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट के लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.05.2018 नियत कर दी गई। आदेशिका दिनांक 9.5.2018 के अवलोकन से आदेशिका मे पक्षकारान की उपस्थिति के संबध मे कोई तथ्य अंकित नही है। इससे प्रकट होता है कि पक्षकारान दिनांक 9.5.2018 को न्यायालय मे उपस्थित नही रहे है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख/नोटिस उपलब्ध नही है जिससे पक्षकारान को केम्प कोर्ट बमुलियाकंला मे उपस्थित होने बावत सूचित किया गया हो। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सूचित किये बिना ही प्रकरण लोक अदालत केम्प बमुलियाकला मे रख जेरअपील निर्णय पारित किया है जो सिविल प्रकिया संहिता मे निहित प्रावधानों के विपरीत तथा पक्षकारान की अनुपस्थिति मे उनको सूचित किये बिना एक पक्षीय रूप से पारित किये जाने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होना प्रकट होता है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि राजस्व लोक अदालत केम्प मे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। पक्षकारान की सहमति संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नही है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 09.05.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट एवं रेस्पो0 को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, सेटलमेंट से पूर्व एंव बाद के नक्शें का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः विधिसम्मत, तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.11..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा